न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या **12/2023**

वादिनीः–

जजुदेवी पुत्री शंकरराम पोत्री वीरमाराम पत्नी तुलसाराम जाति मेघवाल निवासी देवपुरा हाल महिलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जीवाराम पुत्र पूंजाराम जाति गवारिया निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
2. बंशीलाल पुत्र जीवाराम जाति गवारिया निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
3. मांगीलाल पुत्र नेमाराम जाति गवारिया निवासी टापरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
4. रमेश पुत्र नेमाराम जाति गवारिया निवासी टापरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
5. लुंगाराम पुत्र नेमाराम जाति गवारिया निवासी टापरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
6. आम्बाराम पुत्र चेनाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. उदाराम पुत्र वीरमाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
8. कनकोदेवी पत्नी पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
9. केसाराम पुत्र राणजी जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
10. कोलाराम पुत्र चेनाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा नाबालिग जरिये कुदरती वली माता बादली पत्नी चेनाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
11. खीमाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
12. जगाराम पुत्र राणजी जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
13. जोगाराम पुत्र सांवलाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
14. नगाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
15. नारायणाराम पुत्र [illegible] जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
16. पानीदेवी पत्नी [illegible] जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
17. बादली पत्नी चेनाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
18. सवाराम पुत्र राणाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:10:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

19. दिनेश कुमार पुत्र नगाराम जाति सरगरा निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता वादिनी
2. प्रतिवादीगण एकतरफा

दिनांकः– 01.09.25

यह वाद वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88 व 188 के तहत पेश किया गया है जिसका संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण कीकब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 853/412 रकबा 3.7231 हैक्टेयर मौजा धारणा व खसरा संख्या 526 रकबा 2.0153 हैक्टेयर मौजा ताण्डाबेरा व खसरा संख्या 181 रकबा 5.6656 हैक्टेयर मौजा देवपुरा व खसरा संख्या 593 रकबा 9.4615 हैक्टेयर मौजा धारणा तहसील सिवाना में आई हुई है। वादिनी व प्रतिवादी संख्या 7 उदाराम पुत्र वीरमारामके दादा मादाराम पुत्र गेनाराम का वंशवृक्ष सजरा निम्न प्रकार है।

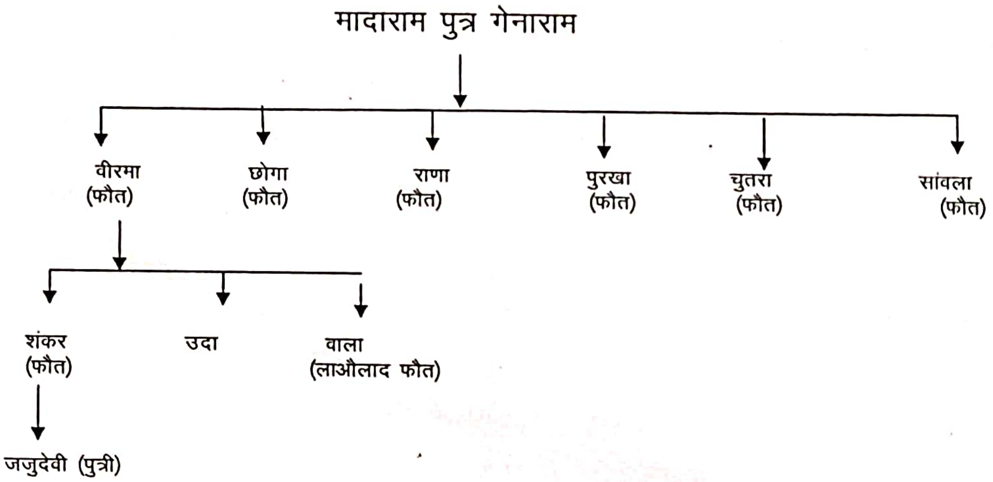

वादिनी के परदादा मादाराम के 5 पुत्र थे जिसमे वादिनी के दादा वीरमाराम सबसे बडे थे वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 853/412 रकबा 3.7231 हैक्टैयर मौजा धारणा वक्त सेटलमेन्ट से अकेले वीरमाराम के कब्जा कश्त मालिकाना हक हकूक की तथा खसरा संख्या 526 रकबा 2.0153 हैक्टेयर मौजा ताण्डाबेरा व खसरा संख्या 181 रकबा 5.6656 हैक्टेयर मौजा देवपुरा व खसरा संख्या 593 रकबा 9.4615 हैक्टेयर मौजा धारणा में [illegible] 1/6 हिस्सा माफिक सजरा विधमान था। वादिनी के दादा वीरमाराम के तीन पुत्र थे सबसे बडे वादिनी के फौत शंकरराम जिनका देहान्त वीरमाराम के जीवनकाल में हो गया था उनसे छोटा प्रतिवादी संख्या 7 उदाराम व उनसे छोटा वालाराम जो लाऔलाद वीरमाराम के देहान्त के बाद फौत हुए वादिनी के दादा वीरमाराम का देहान्त वर्ष 1984 में हुआ वादिनी के दादा वीरमाराम के देहान्त होने के बाद वादग्रगस्म आराजी खसरा सनम्बर 853/412 जो अकेले वीरमाराम के नाम की थी जरिये फौतदगी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

नामान्तरकरण वादिनी व उदाराम व वालाराम के नाम बहिस्सा बराबर –बराबर हिस्सा दर्ज करनी थी परन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा उक्त खसरा की आराजी त्रुटिवश उदाराम व वालाराम के नाम दर्ज कर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध व गलत दर्ज कर दी तथा खसरासंख्या 181,526 व 593 जिसमें वादिनी के दादा वीरमाराम का 1/6 हिस्सा था को तत्कालीन समय के पटवारी ने त्रुटिवश जरिये नामान्तकरण संख्या 500 दिनांक 25.09.1987 द्वारा उदा,वाला पिसरान वीरमा व टीपू बैवा वीरमाराम दर्ज कर दिया तथा वादिनी को अपने विधिक हक हिस्से से वंचित कर दिया । उक्त दोनो नामान्तरकरण पूर्णतया विधि विरूद्ध,अवैध,अनुचित व त्रुटिवश दर्ज किये गये है तथा इन नामान्तरकरण से जो राजस्व रेकर्ड में आगे इन्द्राज किये गये व पूर्णतया गलत है। वालाराम के लाऔलाद फौत होने के बाद में नामान्तरकरण संख्या 1186 दिनांक 30.10.2001 दर्ज किया गया वो भी पूर्णतया गलत दर्ज किया गया उक्त नामान्तरकरण से वालाराम का हिस्सा मात्र अकेले उदाराम के नाम दर्ज कर दिया गया तथा टीपूदेवी के फौत होने पर अकेले उदाराम के नाम जरिये फौतदगी नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया इसमें भी वादिनी का नाम वंचित रखा गया जबकि वादिनी 1/2 हिस्से के विधिक हकदार है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 853/412 में वादिनी का 1/2 हिस्सा व खसरा संख्या 526,181 व 593 में वादिनी का 1/12 हिस्सा विधिक रूप से विद्यमान है। वादिनी वीरमाराम की प्रथम श्रेणी की वारिश है तथा उक्त आराजी जो वीरमाराम के हक हिस्से की थी बतौर वारिस वादिनी व उदाराम को बहिस्सा बराबर बराबर अर्जित हुई है, प्रतिवादी संख्या 7 ने राजस्व रेकर्ड अंकित गलत इन्द्राज का फायदा उठा कर खसरा संख्या 853/412 सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को दिनांक 11.10.2000 को बेचान कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 7 को उक्त खसरा में से मात्र 1/2 हिस्से से ज्यादा बेचान का कोई हक विद्यमान नहीं था,प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा अपने हक हिस्से से किया गया बेचाना बेअसर तथा विधि विरूद्ध है वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 526 ,181 व 593 में वादिनी को बतोर विरासत 1/2 हिस्सा भूमि विधिक रूप से अर्जित हुई है जिसमें भी प्रतिवादी संख्या 7 उदाराम के द्वारा खसरा संख्या 181 में से 3 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 19 को दिनांक 19.05.2022 को बेचान कर दी गई जो गलत रूप से वादिनी के विधिक हितो के विरूद्ध बेचान की गई उक्त आराजी भी प्रतिवादी संख्या 7 को बेचान करने का कोई विधिक हक व अधिकार विद्यामन नहीं था । वादिनी ने वादग्रस्त आराजी 853/412 रकबा 3.7231 हैक्टेयर मौजा धारणा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नाम हटा[illegible] जाव[illegible] वादिनी का 1/2 हिस्सा व खसरा संख्या 526 रकबा 2.0153 हैक्टेयर मौजा [illegible]डाबेरा व खसरा संख्या 181 रकबा 5.6656 हैक्टेयर मौजा देवपुरा व खसरा संख्या 593 रकबा 9.4615 हैक्टेयर मौजा धारणा तहसील सिवाना में 1/12 घोषित किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया । वादिनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादिनी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में वादिनी साक्ष्य पी.डब्लयू 1 जजूदेवी व पी.डब्लयू 2 मंगलाराम के बयान कलमबद्व करवाये गये तथा दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 1155 प्रदर्श 1,नामान्तरकरण संख्या 1186 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2, नामान्तरकरण संख्या 500 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 जमाबंदी प्रदर्श 4, 5, 6, 7, 8, 9 हल्का पटवारी धारणा द्वारा श्रीमान तहसीलदार सिवाना को भेजी गई जाँच की फोटो प्रति प्रदर्श 10,जमाबंदी प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवाये।

वादिनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादिनी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 853/412 रकबा 3.7231 हैक्टैयर मौजा धारणा वक्त सेटलमेन्ट से वादिनी के दादा वीरमाराम के कब्जा कश्त मालिकाना हक हकूक की तथा खसरा संख्या 526 रकबा 2.0153 हैक्टेयर मौजा ताण्डाबेरा व खसरा संख्या 181 रकबा 5.6656 हैक्टेयर मौजा देवपुरा व खसरा संख्या 593 रकबा 9.4615 हैक्टेयर मौजा धारणा में वादिनी के दादा वीरमाराम का 1/6 हिस्सा माफिक था। वादिनी के दादा वीरमाराम के तीन पुत्र थे सबसे बडे वादिनी के फौत शंकरराम जिनका देहान्त वीरमाराम के जीवनकाल में हो गया था उनसे छोटा प्रतिवादी संख्या 7 उदाराम व उनसे छोटे वालाराम जो लाऔलाद वीरमाराम के देहान्त के बाद फौत हुए वादिनी के दादा वीरमाराम का देहान्त वर्ष 1984 में हुआ वादिनी के दादा वीरमाराम के देहान्त होने के बाद वादग्रगस्म आराजी खसरा नम्बर 853/412 जो अकेले वीरमाराम के नाम की थी जरिये फौतदगी नामान्तरकरण वादिनी व उदाराम व वालाराम के नाम बहिस्सा बराबर –बराबर हिस्सा दर्ज करनी थी परन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा उक्त खसरा की आराजी त्रुटिवश उदाराम व वालाराम के नाम दर्ज कर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध व गलत दर्ज कर दी तथा खसरा संख्या 181,526 व 593 जिसमें वादिनी के दादा वीरमाराम का 1/6 हिस्सा था को तत्कालीन समय के पटवारी ने त्रुटिवश जरिये नामान्तकरण संख्या 500 दिनांक 25.09.1987 द्वारा उदा,वाला पिसरान वीरमा व टीपू बैवा वीरमाराम दर्ज कर दिया तथा वादिनी को अपने विधिक हक हिस्से से वंचित कर दिया। उक्त दोनो नामान्तरकरण पूर्णतया विधि विरूद्ध, अवैध, अनुचित व त्रुटिवश दर्ज किये गये है तथा इन नामान्तरकरण [illegible] इन्द्राज किये गये व पूर्णतया गलत है। वालाराम के लाऔलाद फौत होने के बाद में नामान्तरकरण संख्या 1186 दिनांक 30.10.2001 दर्ज किया गया वो भी पूर्णतया गलत दर्ज किया गया उक्त नामान्तरकरण से वालाराम का हिस्सा अकेले उदाराम के नाम दर्ज कर दिया गया तथा टीपूदेवी के फौत होने पर अकेले उदाराम के नाम जरिये फौतदगी नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया इसमें भी वादिनी का नाम वंचित रखा गया जबकि वादिनी 1/2 हिस्से के विधिक हकदार है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

853/412 में वादिनी का 1/2 हिस्सा व खसरा संख्या 526, 181 व 593 में वादिनी का 1/12 हिस्सा विधिक रूप से विद्यमान है। वादिनी वीरमाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा उक्त आराजी जो वीरमाराम के हक हिस्से की थी बतौर वारिस वादिनी व उदाराम को बहिस्सा बराबर बराबर अर्जित हुई है,प्रतिवादी संख्या 7 ने राजस्व रेकर्ड अंकित गलत इन्द्राज का फायदा उठा कर खसरा संख्या 853/412 सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को दिनांक 11.10.2000 को बेचान कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 7 को उक्त खसरा में से मात्र 1/2 हिस्से से ज्यादा बेचान का कोई हक विद्यमान नहीं था,प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा अपने हक हिस्से से किया गया बेचान बेअसर तथा विधि विरूद्ध है वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 526 ,181 व 593 में वादिनी को बतोर विरासत 1/2 हिस्सा भूमि विधिक रूप से अर्जित हुई है जिसमें भी प्रतिवादी संख्या 7 उदाराम के द्वारा खसरा संख्या 181 में से 3 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 19 को दिनांक 19.05.2022 को बेचान कर दी गई जो गलत रूप से वादिनी के विधिक हितो के विरूद्ध बेचान की गई उक्त आराजी भी प्रतिवादी संख्या 7 को बेचान करने का कोई विधिक हक व अधिकार विद्यामन नहीं था, लिहाजा वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 853/412 में वादिनी का 1/2 हिस्सा व वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 526 ,181 व 593 में 1/12 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने वादिनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन व अध्ययन किया।

यहां न्यायालय को यह तय करना था कि क्या वादिनी मौजा धारणा के वादग्रस्त भूमि खसरा 853/412 में 1/2 व मौजा देवपुरा के खसरा संख्या 181 ,मौजा ताण्डाबेरा के खसरा सख्या 526 व मौजा धारणा के खसरा संख्या 593 में 1/12 हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी हैं ?

वादिनी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 500 प्रदर्श 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वीरमा, छोगा, राणिया, पुरखिया, चतरिया ,सावंलिया पुत्र मादा के नाम दर्ज थी तथा वीरमाराम के फौत होने के बाद उदा,वाला पि. वीरमा व टीपू बेवा वीरमा के नाम दर्ज हुई,नामान्तकरण संख्या 1186 प्रदर्श 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वाला के लाऔलाद फौत होने से उसे वारिस उदराम के नाम दर्ज हुई, प्रदर्श 3 से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 181 ,526 व 593 पैतृक [illegible] के सशपथ बयान अनुसार वादिनी वीरमाराम के पौत्री व शंकर [illegible] पुत्र [illegible] हिन्दू उत्तराधिकारी (संशोधन) अधिनियम 2005 की धारा 6 [illegible] 2005 [illegible] संशोधित कर महिलाओं को वर्ष 2005 में सम्पत्ति के विभाजन के लिये सहदायिक के रूप में मान्यता दी गई उक्त धारा अनुसार पुत्र ,पुत्री, विधवा ,माँ, पूर्व मृत बेटे का बेटा और पूर्व मृत बेटे की बेटी को श्रेणी 1 के उत्तराधिकारी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय Vineeta Sharma versus Rakesh sharma and other [Civil Appeal no. 32601

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

/2018 date 11.08.2020] And Arunachala Grounder (Dead) by LR's versus Ponnusamy & Others [civil Appeal no.6659/2011 date 20.01.2022] से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1954 की धारा 6 (5) पुनः संशोधित हो गया है। जिसके अनुसार यदि किसी खातेदार की मृत्यु दिनांक 09.09.2005 से पहले भी हुई है तो भी खातेदार की पुत्रियों को अपनी पैतृक पिता की सम्पति में हक अधिकार उत्पन्न होगा वादिनी गवाह पी.डब्लयू 2 ने अपने बयान के कथन किया है कि वादिनी वीरमाराम की पौत्री है अर्थात से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1954 की धारा 6 (5) पुनः संशोधित अनुसार वादिनी प्रथम श्रेणी की वारिसान है। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा सम्मन तामील के पश्चात भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद की मौन स्वीकृत प्रतीत होती है। हल्का पटवारी धारणा द्वारा श्रीमान तहसीलदार सिवाना को भेजी गई जाँच की फोटो प्रति प्रदर्श 10 से वादग्रस्त भूमि पैतृक का भूमि होना तथा वादिनी वीरमाराम की पौत्री होने की ताईद की गई है। वादिनी ने मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य से यह बखूबी सिद्ध किया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है तथा वादिनी वीरमाराम की पौत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के कारण वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषित करवाने की अधिकरिणी है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादिनी का वाद धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि मौजा धारणा के खसरा संख्या 853/412 रकबा 3.7231 हैक्टैयर में 1/2 हिस्सा व मौजा ताण्डाबेरा के खसरा संख्या 526 रकबा 2.0153 हैक्टेयर , मौजा देवपुरा खसरा संख्या 181 रकबा 5.6656 हैक्टेयर व मौजा धारणा के खसरा संख्या 593 रकबा 9.4615 हैक्टेयर में वादिनी का 1/12 हिस्सा घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा अपने हक हिस्से अधिक किये गये बेचान शून्यकरणीय है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादिनी के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh
Khangarot
Date: 2025.11.18 19:10:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 12/2023

वादिनीः–

जजुदेवी पुत्री शंकरराम पोत्री वीरमाराम पत्नी तुलसाराम जाति मेघवाल निवासी देवपुरा हाल महिलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जीवाराम पुत्र पूंजाराम जाति गवारिया निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
2. बंशीलाल पुत्र जीवाराम जाति गवारिया निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
3. मांगीलाल पुत्र नेमाराम जाति गवारिया निवासी टापरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
4. रमेश पुत्र नेमाराम जाति गवारिया निवासी टापरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
5. लुंगाराम पुत्र नेमाराम जाति गवारिया निवासी टापरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
6. आम्बाराम पुत्र चेनाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. उदाराम पुत्र वीरमाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
8. कनकोदेवी पत्नी पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
9. केसाराम पुत्र राणजी जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
10. कोलाराम पुत्र चेनाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा नाबालिग जरिये कुदरती वली माता बादली पत्नी चेनाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
11. खीमाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
12. जगाराम पुत्र राणजी जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
13. जोगाराम पुत्र सांवलाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
14. नगाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
15. नारायणाराम पुत्र चतराराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
16. पानीदेवी पत्नी चतराराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
17. बादली पत्नी चेनाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
18. सवाराम पुत्र राणाराम जाति मेघवाल निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

19. दिनेश कुमार पुत्र नगाराम जाति सरगरा निवासी ताण्डाबेरा तह
जिला बालोतरा

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनि

निर्णय दिनांकः – 01.09.20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री नरपतसिंह अधिवक्ता मिनजानिव पेश होकर डिगरी दी जाती है कि वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि मौजा धारणा के खसरा संख्या 853/412 रकबा 3.7231 हैक्टैयर में 1/2 हिस्सा व मौजा ताण्डाबेरा के खसरा संख्या 526 रकबा 2.0153 हैक्टेयर, मौजा देवपुरा खसरा संख्या 181 रकबा 5.6656 हैक्टेयर व मौजा धारणा के खसरा संख्या 593 रकबा 9.4615 हैक्टेयर में वादिनी का 1/12 हिस्सा घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा अपने हक हिस्से अधिक किये गये बेचान शून्यकरणीय है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादिनी के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.09.2025 को जारी की गई।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:10:29 IST
Reason: SelfAttested